दिनांक- 11.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 48/26

महोबा पुलिस

सर्किल- चरखारी, थाना-चरखारी

थाना चरखारी पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 11.05.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित उ0नि0 राजनारायण मय हमराह हे0का0 श्यामकिशोर व का0 पंकज कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त हरीशंकर पटेल पुत्र रामचन्द्र पटेल उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम कुरौराडांग थाना चरखारी जनपद महोबा सम्बन्धित केस नं0 11/20 धारा 135 विद्युत अधिनियम में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम कुरौराडांग थाना चरखारी जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 राजनारायण
2. हे0का0 श्यामकिशोर
3. का0 पंकज कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त -

हरीशंकर पटेल पुत्र रामचन्द्र पटेल उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम कुरौराडांग थाना चरखारी जनपद महोबा

दिनांक- 11.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 49/26

महोबा पुलिस

सर्किल- नगर, थाना-खन्ना

थाना खन्ना की संयुक्त पुलिस टीम ने 03 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में सलिप्त वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 11.05.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर, श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री अर्जुन सिंह द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया।

उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह के नेतृत्व में गठित प्रथम पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त बब्बू उर्फ बाबूलाल पुत्र स्व0 सुखलाल प्रजापित उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम पचपहरा थाना खन्ना जनपद महोबा सम्बन्धित मु0अ0सं0 29/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम में मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को खन्ना बस स्टैण्ड के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

इसी क्रम में उ0नि0 हीरामणि तिवारी के नेतृत्व में गठित द्वितीय पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण क्रमशः 1.हल्के उर्फ रमाशंकर पुत्र रामप्रसाद उम्र 62 करीब वर्ष निवासी ग्राम घण्डुआ थाना खन्ना जनपद महोबा 2.शिवबालक पुत्र रामप्रसाद उम्र करीब 68 वर्ष निवासी ग्राम घण्डुआ थाना खन्ना जनपद महोबा सम्बन्धित मु0अ0सं0 227/19 धारा 379 भादवि में मा0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्तगण उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.बब्बू उर्फ बाबूलाल पुत्र स्व0 सुखलाल प्रजापित उम्र 65 वर्ष नि0 ग्राम पचपहरा थाना खन्ना महोबा
2.हल्के उर्फ रमाशंकर पुत्र रामप्रसाद उम्र 62 करीब वर्ष नि0 ग्राम घण्डुआ थाना खन्ना जनपद महोबा
3.शिवबालक पुत्र रामप्रसाद उम्र करीब 68 वर्ष निवासी ग्राम घण्डुआ थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

प्रथम पुलिस टीम-
1. उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह
2. रि0का0 प्रदीप कुमार

द्वितीय पुलिस टीम-
1. उ0नि0 हीरामणि तिवारी
2. रि0का0 सिकन्दर

दिनांक- 11.05.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 50/26

महोबा पुलिस

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा

जनपदीय साइबर थाना का औचक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

आज दिनांक 11.05.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा पुलिस लाइन महोबा स्थित जनपदीय साइबर थाना का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साइबर अपराधों से संबंधित लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र एवं प्रभावी निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि साइबर अपराधों में संलिप्त अपराधियों की त्वरित पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जांच प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों का अधिकतम उपयोग करने पर बल देते हुए साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने प्रभारी साइबर थाना को आमजन को साइबर धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करने हेतु विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए, जिससे नागरिकों को ऐसे अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया जा सके। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि साइबर अपराध से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए पीड़ितों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराया जाए।

निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना परिसर की स्वच्छता, सुव्यवस्था एवं पब्लिक फ्रेंडली वातावरण बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही अभिलेखों—जैसे रजिस्टर, केस डायरी आदि—को नियमित रूप से अद्यतन एवं सुव्यवस्थित रखने के निर्देश भी दिए गए।

महोबा पुलिस द्वारा साइबर अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई एवं जनजागरूकता के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।